

बिहार परिचारिका निबंधन परिषद्, पटना।

स्वास्थ्य विभाग,

आदेश

पत्रांक: सं०सं०-223/बी०एन०आर०सी०/2019/.....

स्वा०,पटना, दिनांक

माता वैष्णवी एजुकेशनल ट्रस्ट, भमुआ, कैमुर द्वारा प्रस्तावित राज नर्सिंग इंस्टीच्यूट(जी०एन०एम०), ओदार, भमुआ, कैमुर-821108 के अन्तर्गत ए०एन०एम०, जी०एन०एम० एवं बी०एस०सी०नर्सिंग प्रशिक्षण पाठ्यक्रम के संचालन हेतु शैक्षणिक वर्ष 2024-25 से अगले तीन वर्षों के लिए अवधि विस्तार के लिए विभागीय आदेश ज्ञापांक- 2324/बी०एन०आर०सी०, दिनांक 26.06.2024 के द्वारा डॉ० ऋषिकांत पाण्डेय, अपर निदेशक(मुख्यालय), स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार, पटना की अध्यक्षता में गठित विशेषज्ञ समिति द्वारा भारतीय उपचर्या परिषद्, नई दिल्ली एवं राज्य सरकार द्वारा निर्धारित मानकों के अनुरूप संबंधित संस्थान में उपलब्ध भौतिक संरचनाओं, मानव संसाधनों तथा अन्य सुविधाओं की जाँचोपरांत अनुशंसा के आलोक में पूर्व के निर्धारित सीटों पर शैक्षणिक सत्र-2024-25, 2025-26 एवं 2026-27 के लिए नर्सिंग पाठ्यक्रम हेतु मान्यता का अवधि विस्तार किया जाता है।

2-सरकार को यह अधिकार होगा कि संस्थान का निरीक्षण तीन वर्ष के पूर्व भी कराया जा सकेगा।

3-संस्थान को भारतीय उपचर्या परिषद्, नई दिल्ली से Suitability हेतु आवेदन एक पक्ष के अन्दर करना सुनिश्चित करेंगे।

4- प्रस्ताव में सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है

ह/०-

निदेशक प्रमुख(नर्सिंग)

स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार, पटना।

ज्ञापांकसं०सं०-223/बी०एन०आर०सी०/2019/2686.....

पटना, दिनांक 18/07/24.....

प्रतिलिपि :- अध्यक्ष, राज नर्सिंग इंस्टीच्यूट(जी०एन०एम०), ओदार, भमुआ, कैमुर-821108 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :- निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवाएँ के निजी सहायक को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :- सचिव, भारतीय उपचर्या परिषद्, नई दिल्ली को सादर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:- निबंधक, बिहार स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, मिठापुर, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:- विशेष सचिव, स्वा०विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :- अपर मुख्य सचिव, स्वास्थ्य विभाग के आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

निदेशक प्रमुख(नर्सिंग)

स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार, पटना।